# कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष– 05944-242400

पत्रांकः– / सा0नि0अनु0 / ई–नि0सू0 / 2023–24 दिनांक–

## ई–निविदा सूचना

विभिन्न शासकीय / अर्द्धशासकीय विभागों / निगमों में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदार / फर्मों को सूचित किया जाता है कि 15 वॉ वित्त / राज्य वित्त की अनुदान धनराशि एवं नगर निगम निधि के अन्तर्गत नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निम्नांकित कार्य किया जाना प्रस्तावित है–

**1– नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत 8.00 कि0मी0 लम्बाई पर सड़क सर्फेसिंग (हॉटमिक्स) एवं 4.00 कि0मी0 लम्बाई पर डब्लू0एम0एम0 द्वारा अनुरक्षण का कार्य तथा विभिन्न वार्डों के अन्तर्गत 1.00 कि0मी0 लम्बाई में नाली निर्माण का कार्य।**

**2– नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में नालों की तलीझाड सफाई का कार्य।**

उपरोक्त कार्यों हेतु निम्नांकित की–डेट्स के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा से सम्बन्धित सूचनायें एवं (दोनों कार्यों की अलग–अलग) शर्तें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अवलोकित की जा सकती हैं तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। की–डेट्स निम्नांनुसार है–

| S.No. | Schedule/Information | Date | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | Date of online Publication | 09-06-2023 | 9:00 AM |
| 2. | Documents Download Start Date | 09-06-2023 | 10:00 AM |
| 3. | Bid Submission Start Date | 09-06-2023 | 10:00 AM |
| 4. | Bid Submission End Date | 24-06-2023 | 5:00 PM |
| 5. | Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date | 24-06-2023 | 5:00 PM |
| 6. | Bid Opening Date | 26-06-2023 | 11:00 AM |

(विशाल मिश्रा)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांक 640/5 2023 R.B दि0 8-6-23

प्रतिलिपिः– निम्नांनुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को उपरोक्तानुसार इन्टरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई–निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 09/06/2023 के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(गजेन्द्र पाल)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

D:\Gajendra Singh\E-Tender Road Repair 15 Km\Above 1.5 Caror\E Tender Suchana -09.Docx

# "ई–निविदा हेतु शर्तें व नियम"

1. प्रस्तावित कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, कार्य सम्पादन हेतु समयावधि आदि निम्नवत् है–

| क्र. सं. | कार्यों का नाम | आंगणन धनराशि (लाख रु0 में) | धरोहर धनराशि रु0 | निविदा मूल्य+जी.एस.टी. | | | ठेकेदार श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल्य | जी.एस. टी. | कुल | |
| 1. | नगर निगम रूद्रपुर में विभिन्न वार्डों में नालों की तलीझाड सफाई कार्य। | 38.20 | 76400.00 | 2500 | 450 | 3950 | सी एवं उच्चतर |

2. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को की–डेट्स के अनुसार अधिप्राप्ति निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्राप्त ई–निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
4. नगर निगम रूद्रपुर एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निगमों में वर्ष 2023–24 में वैध सी एवं उच्चतर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार ही निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत दी गई निविदा ही मान्य होंगी श्रेणी से इतर दी गई निविदा निरस्त कर संलग्न धरोहर धनराशि नगर निगम रूद्रपुर के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

## –: ऑफ लाईन, ऑनलाईन तकनीकी बिड़ हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची :–

**1–निविदा मूल्य का मांग ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बनाना आवश्यक होगा।**

**2–निर्धारित धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. मूलरूप में जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो।**

**3–मु0 100.00 रु0 का स्व हस्ताक्षरित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (रसीदी टिकट सहित) मूल रूप में।**

**4–निविदादाता को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निगमों में वर्ष 2023–24 में वैध पंजीकृत होने का पंजीकरण का प्रमाण पत्र।**

**5– जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र।**

**उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर सीलबन्द लिफाफा निविदा बाक्स में जमा करना आवश्यक होगा। स्टेपल पिन से बन्द लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

6. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण या ऐसी निविदा जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्स गारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है।
8. निविदादाता को तलीझाड़ सफाई कार्य को नगर निगम रूद्रपुर के स्वास्थ्य अनुभाग में अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी को तत्काल सही करना होगा उक्त समयावधि में कमियां दूर न करने पर नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य करवा ले। कार्य की लागत की कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।

11. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य में लगे श्रमिकों को दस्ताने, मास्क, गमबूट पहनना आवश्यक होगा जिसकी व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं की जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर

12. निविदादाता को नाले की तलीझाड़ सफाई से निकाले गये सिल्ट का निस्तारण स्वयं करना होगा तथा सिल्ट को कार्यस्थल से 36 घण्टे के अन्दर हटाना आवश्यक होगा। 36 घण्टे से 48 घण्टे के मध्य सिल्ट हटाने पर प्रतिसाईड/प्रतिदिन रु0 1000.00 जुर्माना वसूला जायेगा। उसके बाद भी यदि सिल्ट हटाई नहीं जाती है तो नगर निगम द्वारा सिल्ट को हटा लिया जायेगा जिसमें मानव व मशीनरी व्यय जुर्माने के साथ कोटेशनदाता से वसूल किया जायेगा।
13. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा विलम्ब की स्थिति में अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यो मे विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
14. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो निविदादाता का कर्तव्य होगा कि वह नगर निगम के स्वास्थ अनुभाग में उसकी सूचना दे। तथा कार्य पूर्ण किये जाने पर नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
15. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य में कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस हेतु नगर निगम रूद्रपुर के अधिकारी/कर्मचारी किसी भी रूप मे जिम्मेदार नहीं होंगे।
16. निविदादाता को नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य स्वीकृति उपरान्त तत्काल प्रारम्भ करना होगा अन्यथा स्थिति में द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से कार्य कराये जाने पर विचार किया जायेगा तथा कार्य के सापेक्ष संलग्न धरोहर धनराशि को नगर निगम के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा।
17. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य हेतु निविदादाता को कार्य स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य के दौरान व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफी सहित प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
18. निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न होने की दशा में निविदादाता को समय वृद्धि हेतु परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 01 माह तक सहायक नगर आयुक्त प्रभारी स्वास्थ्य अनुभाग/अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 01 माह से अधिक का समय बढ़ाने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त को होगा।
19. नाले की तलीझाड़ सफाई कार्य को प्रत्येक दशा में कार्यादेश जारी होने की तिथि से 01 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा।
20. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी महोदय ऊधमसिंह नगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

**नोटः— समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेंगी।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| गजेन्द्र पाल<br>प्र0 अधिशासी अभियन्ता<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | जुबक मोहन सक्सेना<br>वरिष्ठ वित्त अधिकारी<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | विशाल मिश्रा<br>नगर आयुक्त<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | रामपाल सिंह<br>महापौर<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। |